भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 664
03 फरवरी, 2026 को उत्तरार्थ

विषयः कृषि योजनाओं के तहत की गई प्रगति

664. श्री गोविन्द मकथप्पा कारजोलः

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) कर्नाटक राज्य के लिए कृषि योजनाओं अर्थात् प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) नीतियों के अंतर्गत हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में फसल बीमा योजनाओं के बारे में जागरुकता लाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) कर्नाटक राज्य में वर्ष 2025 के दौरान जलवायु-संबंधी घटनाओं से प्रभावित किसानों को प्रदान की गई राहत एवं सहायता का जिला-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(**क**): प्राकृतिक आपदाओं, प्रतिकूल मौसम की दशाओं, कीटों और रोगों आदि के कारण फसल उपज में होनी वाली क्षति से किसानों को सुरक्षित रखने के लिए, सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) का कार्यान्वयन किया जा रहा है। PMFBY योजना बुआई पूर्व से लेकर फसलोपरांत तक होनी वाली क्षति के लिए गैर-निवारणीय प्राकृतिक जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करती है, जबकि RWBCIS मौसम सूचकांकों में विचलन के कारण संभावित फसल नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति प्रदान करता है।

यह योजना राज्यों के साथ-साथ किसानों के लिए भी स्वैच्छिक है। कर्नाटक राज्य सरकार इस योजना को राज्य में खरीफ 2016 में प्रारंभ होने के बाद से क्रियान्वित करने वाले प्रमुख राज्यों में से एक है। इस योजना की शुरुआत से लेकर अब तक, कर्नाटक राज्य में PMFBY के तहत किसानों के 3,013 करोड़ रुपये के प्रीमियम के लिए 1.34 करोड़ किसान आवेदनों पर 18,783 करोड़ रुपये के दावों का भुगतान किया जा चुका है।

प्रमुख कृषि उत्पादों के लिए सरकार की मूल्य नीति का उद्देश्य कर्नाटक सहित देश के किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना है, ताकि अधिक निवेश और उत्पादन को प्रोत्साहित किया जा सके और उचित कीमतों पर आपूर्ति उपलब्ध कराकर उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की जा सके तथा कृषि समुदाय को पर्याप्त सहायता प्रदान की जा सके। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, सरकार कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CSP) की सिफारिशों के आधार पर संबंधित राज्य सरकारों और केंद्रीय

मंत्रालयों/विभागों के अभिमतों पर विचार करने के पश्चात बाईस (22) अनिवार्य फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की घोषणा करती है। अनिवार्य फसलों में 22 फसलों में 14 खरीफ फसलें (जैसे धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, अरहर, मूंग, उड़द, मूंगफली, सोयाबीन (पीली), सूरजमुखी, तिल, रामतिल और कपास) तथा 6 रबी फसलें (जैसे गेहूं, जौ, चना, मसूर, सरसों, कुसुम) और दो वाणिज्यिक फसलें (जैसे जूट और खोपरा) शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, तोरिया और छिलका रहित नारियल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) क्रमशः रेपसीड एवं सरसों और खोपरा के MSP के आधार पर निर्धारित किया गया है।

(ख): सरकार ने कर्नाटक राज्य सहित संपूर्ण भारत में इस योजना के कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने के लिए जागरूकता, पारदर्शिता लाने और दावों का समय पर निपटान सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं।

- सरकार ने **राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (NCIP)** के विकास का कार्य प्रारंभ किया है, जो सब्सिडी भुगतान, समन्वय, पारदर्शिता, सूचना के प्रसार और सेवाओं के वितरण को सुनिश्चित करने वाले डेटा के एकल स्रोत के रूप में कार्य करेगा। इसमें किसानों का प्रत्यक्ष ऑनलाइन नामांकन, बेहतर निगरानी के लिए अलग-अलग बीमित किसान के विवरण को अपलोड करना/प्राप्त करना और दावा राशि को निजी किसान के बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिक रूप से अंतरित करना सुनिश्चित करना शामिल है।
- दावा वितरण प्रक्रिया की कड़ी निगरानी के लिए, खरीफ 2022 से दावों के भुगतान हेतु **'डिजीक्लेम मॉड्यूल'** नामक एक समर्पित मॉड्यूल प्रारंभ किया गया है। इसमें सभी दावों के समय पर और पारदर्शी प्रोसेसिंग को सुनिश्चित करने के लिए NCIP को सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (PFMS) और बीमा कंपनियों की लेखा प्रणाली के साथ समेकित करना शामिल है।
- प्रीमियम सब्सिडी में केंद्र सरकार के हिस्से को राज्य सरकारों के हिस्से से पृथक कर दिया गया है ताकि किसानों को केंद्र सरकार के हिस्से से संबंधित आनुपातिक दावे मिल सकें।
- PMFBY के प्रचालन दिशानिर्देशों के अनुसार, यदि बीमा कंपनी द्वारा समय पर भुगतान नहीं किया जाता है, तो खरीफ 2024 से राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (NCIP) के माध्यम से स्वतः ही गणना करके 12% का जुर्माना लगाया जाएगा।
- इसी प्रकार, यदि राज्य सरकार निर्धारित समयावधि से प्रीमियम सब्सिडी देने में विलंब करती है, तो उन्हें भी 12% का जुर्माना देना होगा।
- किस्तों में भुगतान की प्रक्रिया वर्ष 2025-26 से प्रारंभ की गई है।
- इसके अलावा, योजना के कार्यान्वयन में प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की दिशा में, किसानों के दावों के समय पर निपटान में सुधार लाने के लिए उपज डेटा/फसल कटाई प्रयोगों (CCE) डेटा को CCE-Agri ऐप के माध्यम से एकत्र करना और इसे NCIP पर अपलोड करना, बीमा कंपनियों को CCE के संचालन को देखने की अनुमति देना, राज्य भूमि अभिलेखों को NCIP के साथ समेकित करना आदि जैसे विभिन्न कदम पहले ही उठाए जा चुके हैं।
- सरकार ने किसानों और पंचायती राज संस्थाओं (PRI) के सदस्यों के बीच PMFBY की प्रमुख विशेषताओं को प्रसारित करने के लिए राज्यों, कार्यान्वयनकारी बीमा कंपनियों, वित्तीय संस्थानों और सामान्य सेवा केंद्रों (CSC) के नेटवर्क द्वारा किए जा रहे जागरूकता कार्यों का सक्रिय रूप से समर्थन किया है।

- कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा खरीफ 2021 के मौसम से ही 'क्रॉप इंश्योरेंस वीक/फसल बीमा सप्ताह' नामक एक सुनियोजित जागरूकता अभियान प्रारंभ किया गया है। इसके साथ ही, किसानों को योजना के कार्यान्वयन के विभिन्न पहलुओं की जानकारी देने के लिए ग्राम/ग्राम पंचायत स्तर पर 'फसल बीमा पाठशालाओं' का आयोजन भी किया जा रहा है।
- सरकार ने 'मेरी पॉलिसी मेरे हाथ' नाम से देशव्यापी स्तर पर फसल बीमा पॉलिसी/रसीद वितरण का एक बड़ा अभियान भी चलाया था। ग्राम पंचायत/गांव स्तर पर विशेष शिविरों के माध्यम से PMFBY के तहत पंजीकृत किसानों को फसल बीमा पॉलिसी की रसीदों की हार्ड कॉपी वितरित की जाती हैं।

फसल क्षति एवं नुकसान के निष्पक्ष आकलन और पारदर्शिता के लिए निम्नलिखित प्रौद्योगिकियों को भी हाल ही में वर्ष 2023-24 से इस योजना के अंतर्गत लागू किया गया है:

i. **YES-TECH (प्रौद्योगिकी पर आधारित उपज अनुमान प्रणाली)** का उपयोग रिमोट सेंसिंग आधारित उपज अनुमान की ओर क्रमिक रूप से अपनाया जाना है**,** ताकि उपज का आकलन करने के साथ-साथ निष्पक्ष और सटीक फसल उपज अनुमान में सहायता मिल सके। यह पहल खरीफ 2023 से धान और गेहूं की फसलों के लिए प्रारंभ की गई है, जिसमें उपज आकलन में 30% भारांश अनिवार्य रूप से YES-TECH से प्राप्त उपज को दिया जाएगा। खरीफ 2024 से सोयाबीन की फसल को भी इसमें शामिल किया गया है।

ii. ग्राम पंचायत और ब्लॉक स्तर पर अति-स्थानीय मौसम डेटा एकत्र करने के लिए मौजूदा नेटवर्क के 5 गुना तक स्वचालित मौसम स्टेशनों (AWS) और ऑटो-मेटेड रेन गेज (ARG) का नेटवर्क स्थापित करने हेतु **WINDS** (**मौसम सूचना नेटवर्क और डेटा सिस्टम)** है। यह डेटा भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के समन्वय से अंतरप्रचालनीयता और डेटा साझा करने की सुविधा वाले राष्ट्रीय डेटाबेस में दर्ज किया जाएगा। WINDS न केवल YES-TECH के लिए बल्कि प्रभावी सूखा एवं आपदा प्रबंधन, सटीक मौसम पूर्वानुमान और बेहतर पैरामीट्रिक बीमा उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए भी डेटा प्रदान करता है।

योजना के प्रचालन दिशानिर्देशों में पहले से ही प्रदान किए गए शिकायत निवारण तंत्र को और बेहतर बनाने के लिए, कृषि रक्षक पोर्टल और हेल्पलाइन (KRPH) विकसित की गई है। अखिल भारतीय टोल-फ्री नंबर 14447 शुरू किया गया है और इसे बीमा कंपनियों के डेटाबेस से लिंक किया गया है, जहां कर्नाटक के किसानों सहित सभी किसान अपनी शिकायतें/समस्याएं दर्ज करा सकते हैं। इन शिकायतों/समस्याओं के समाधान के लिए समय-सीमा भी निर्धारित की गई है।

(ग): खरीफ 2025 सीजन के दौरान कर्नाटक में प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुई क्षति के लिए भुगतान किए गए दावों का जिलेवार विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

अनुबंध

PMFBY एवं RWBCIS: खरीफ 2025 में कर्नाटक के जिलेवार कवरेज और दावों की रिपोर्ट (दिनांक 31.12.2025 तक)

ज़िला	रिपोर्ट किए गए दावे	भुगतान किए गए दावे	लाभार्थी आवेदन
	(रुपए करोड़ में)		(संख्या में)
बल्लारी	0.26	0.15	79.00
बेलगावी	5.70	5.64	22,244.00
बेंगलुरु ग्रामीण	0.004	0.004	7.00
बीदर	65.02	62.59	91,741.00
चिक्काबल्लापुर	3.19	3.16	3,769.00
चिक्कामगलुरु	0.18	0.18	203.00
चित्रदुर्ग	12.48	12.40	7,880.00
दावणगेरे	4.96	4.94	5,763.00
धारवाड़	12.82	12.57	28,000.00
गडाग	11.89	11.78	50,811.00
हासन	0.54	0.54	973.00
हावेरी	0.14	0.13	245.00
कोलार	0.19	0.19	236.00
कोप्पल	1.83	1.77	776.00
मैसूर	0.02	0.02	33.00
रामनगर	0.004	0.004	10.00
शिवमोगा	0.21	0.21	136.00
टुमकुरु	0.05	0.05	37.00
उत्तरकन्नड़	0.001	0.001	2.00
विजयनगर	8.89	8.83	8,227.00
विजयपुरा	0.001	0.001	1.00
यादगिरि	2.98	2.96	1,420.00
कुल	**131.37**	**128.13**	**2,22,593.00**

******